



राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर

मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने चिकित्सा शिक्षा भवन गोविन्द मार्ग जयपुर

दूरभाष 0141-2601727 ई-मेल addr.dme-rj@gov.in

प.7(86)CM/HM बजट/चि.शि.नि./एके/2021/लूज/789

दिनांक 12/2/2021

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक
मेडिकल कॉलेज
जयपुर / अजमेर / उदयपुर /
जोधपुर / बीकानेर / कोटा

प्रधानाचार्य,
मेडिकल कॉलेज
चूरु / भरतपुर / पाली / बाडमेर /
भीलवाडा / डुंगरपुर / सीकर /
आर.यू.एच.एस. कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्सेस

डीन
झालावाड मेडिकल कॉलेज
झालावाड

विषय:- एमबीबीएस कोर्स उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मूल दस्तावेज लौटाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक 2679 दिनांक 10.07.2015 एवं समसंख्या पत्रांक 4660 दिनांक 14.07.2017 से यू.जी. एमबीबीएस कोर्स करने वाले विद्यार्थियों को शर्त बॉण्ड में दो साल राज्यसेवा देने का प्रावधान किया गया था। साथ ही एमबीबीएस कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात एमबीबीएस विद्यार्थियों को उनके मूल दस्तावेज निम्नानुसार शर्तों के अधीन वापस किये जा सकेंगे:-

1. एमबीबीएस कोर्स उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा इन्टर्नशिप पूर्ण करने के पश्चात मूल दस्तावेज देने से पूर्व राज्य सरकार में आवश्यकता होने पर बॉण्ड अनुसार सेवा देने के लिए तैयार होने का शपथ पत्र प्राप्त करने के पश्चात संबंधित मेडिकल कॉलेज द्वारा मूल दस्तावेज लौटाये जावेंगे।

अति०निदेशक (प्रशा०) एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

प.7(86)CM/HM बजट/चि.शि.नि./एके/2021/लूज/789

दिनांक 12/2/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव आचुक्त (एमई) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव अति० निदेशक (प्रशा०) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
4. अति० निदेशक (एके) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. उप निदेशक (एके/राजमेस) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
6. गार्ड फाइल।

अति०निदेशक (प्रशा०) एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव